# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

**पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्या : 12/23 वाद GCMS NO : 2023/00022
पूर्व प्रकरण संख्या : 49/17

1. श्री शंकर उर्फ शंकरीया पिता नारिया मीणा, आयु वयस्क, निवासी हाल अम्बामाता घाटी, तितरडी, जिला उदयपुर

.....वादी

बनाम

1. श्री हरजी पिता सोहन जी गमेती जाति भील, निवासी कलडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर, हाल हिरणमगरी सेक्टर 4, उदयपुर
2. श्री मुकेश चौबीसा पिता नारायणलाल चौबीसा, जाति ब्राह्मण, निवासी प्रताप नगर कॉलोनी, नया हॉस्पिटल, जिला डूंगरपुर हाल चित्रकूटनगर, मेलडी माता मन्दिर के पास, सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्री कौशिक चौबीसा पिता श्री तिलोकलाल जी चौबीसा, निवासी जय पत्रकार कॉलोनी, डूंगरपुर हाल चित्रकूटनगर, मेलडी माता मन्दिर के पास, सवीना. तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्री हुक्मीचन्द पिता श्री मंगला भील निवासी ग्राम नेला, सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
5. श्रीमती नोजी बाई बेवा मंगला भील, निवासी ग्राम नेला, सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
6. श्री दूदा पिता मोती जी भील, निवासी ग्राम नेला, सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
7. श्री हिरा पिता दूदा भील, नि. ग्राम नेला, सवीना, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर
8. श्रीमती टमु बाई पत्नी हुक्मीचन्द जी भील, निवासी ग्राम नेला, सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.26 18:03:44 IST
Reason: SelfAttested

**वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

उपस्थितः— श्री रोशन जैन अधिवक्ता वादी
श्री महेश भट्ट अधिवक्ता प्रतिवादीगण

## निर्णय

दिनांक : 19.06.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि राजस्व मौजा नेला, पटवार क्षेत्र सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में आराजी संख्या 2134 रकबा 0.1900 हैक्टयर, आराजी संख्या 2135 रकबा 0.0300 हैक्टयर, आराजी संख्या 2136 रकबा 0.2000 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.4200 हैक्टयर भूमि स्थित है। वादी ने वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09—01—2007 को पूर्ण प्रतिफल अदा कर क्रय किया एवं तभी से निम्न आराजीयात के 1/2 हिस्से पर वह काबिज है। उक्त कुलिया भूमि 0.4200 हेक्टेयर भूमि है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा अर्थात् 0.2100 हेक्टेयर वादी एकल स्वामी होकर वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादी ने उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 6 एवं अन्य लोगों से दिनांक 09—01—2007 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र पूर्ण प्रतिफल देकर क्रय की एवं इस विक्रय में श्री हीरा पुत्र दूदा (प्रतिवादी नम्बर 7) भी सम्मिलित था और उसकी सहमति से ही उसके पिता ने अन्य सह— खातेदारों के साथ उक्त आराजीयात की भूमि का अपना 1/2 हिस्सा वादी को विक्रय किया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम नामान्तरकरण होकर उसके खाते दर्ज हुंई। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 आये दिन वादी से झगडा करते है एवं बेची हुई जमीन पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व प्रतिवादी संख्या 8 के साथ मिलकर जबरन कब्जा करने की कोशिश करते हैं एवं वादी को उक्त आराजीयात के अपने हिस्से को उपयोग—उपभोग करने में, घास काटने में बाधा उत्पन्न करते जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है। अतः निवेदन है वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वे वादग्रस्त आराजीयात में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करें। वादी को उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से के उपयोग—उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, न ही उक्त आराजीयात के वादी के हिस्से पर अनाधिकृत प्रवेश करें, न ही नाजायज कब्जा करने का प्रयास करें।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब अवसर बंद किया गया एवम् प्रतिवादी संख्या 2 से 8 को बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध दिनांक 27.02.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.26 18:03:44 IST
Reason: SelfAttested

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी पेश किया जाकर साक्ष्य शपथ पत्र को रेकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 स्वीकार किया जाकर साक्ष्य PW1 शंकर पिता श्री नारिया मीणा का शपथ पत्र रेकार्ड पर लिया जाता है। वादी द्वारा कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं कराए गए ना ही कोई ग्वाह प्रस्तुत की गई। वादी की ग्वाह बंद की गई। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत नही किए गए। पत्रावली मे बहस सुनी गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता अपनी बहस के समर्थन में निम्न दृष्टांत पेश किए गए :–

1. AIR 1999 Supreme court Vidhyadhar VS Mankikrao & other Page No 1441

उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् न्यायालय का मत है कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दायर कर राजस्व ग्राम नेला पटवार मण्डल सवीना खेड़ा तहसील गिर्वा में स्थित भूमि जिसके आराजी संख्या 2134 रकबा 0.1900 हैक्टयर, आराजी संख्या 2135 रकबा 0.0300 हैक्टयर, आराजी संख्या 2136 रकबा 0.2000 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.4200 हैक्टयर भूमि में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 1/2 हिस्सा क्रय किया गया जिसके आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय का मानना है कि वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार है एवम् सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का जब तक बंटवाड़ा नही कराया जाता है तब तक प्रत्येक इंच भूमि पर सभी का समान हिस्सा माना गया है। एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 जिसमें एक सह अभिधारी अपने सह अभिधारी के विरूद्ध धारा 188 के अधीन स्थायी व्यादेश के लिए वाद नहीं ला सकता है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड भी अध्ययन किया जिसमें वाद वर्णित आराजी ग्राम नेला पटवार हल्का सवीना खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक सवीना तहसील गिर्वा की आधार सम्वत् 2074–2077 खाता संख्या 86 के आराजी नम्बर 2134, 2135 व 2136 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4200 हैक्टयर जो वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज होकर आवसीय रूपान्तरित हो चुकी है। अतः वर्तमान में उक्त भूमि नगर विकास प्रन्यास्, उदयपुर के नाम दर्ज होने एवम् मूल वाद के समय एक सहखातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जो चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद सारहीन होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.26 13:03:44 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1995 ठोस सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.26 13:03:44 IST
Reason: SelfAttested

## डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
## (आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 12/23 सन 2023 श्री शंकर उर्फ शंकरीया पिता नारिया मीणा, आयु वयस्क, निवासी हाल अम्बामाता घाटी, तितरडी, जिला उदयपुर बनाम (1) श्री हरजी पिता सोहन जी गमेती जाति भील, निवासी कलडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर, हाल हिरणमगरी सेक्टर 4, उदयपुर (2) श्री मुकेश चौबीसा पिता नारायणलाल चौबीसा, जाति ब्राह्मण, निवासी प्रताप नगर कॉलोनी, नया हॉस्पिटल, जिला डूंगरपुर हाल चित्रकूटनगर, मेलडी माता मन्दिर के पास, सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (3) श्री कौशिक चौबीसा पिता श्री तिलोकलाल जी चौबीसा, निवासी जय पत्रकार कॉलोनी, डूंगरपुर हाल चित्रकूटनगर, मेलडी माता मन्दिर के पास, सवीना. तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (4) श्री हुक्मीचन्द पिता श्री मंगला भील निवासी ग्राम नेला, सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (5) श्रीमती नोजी बाई बेवा मंगला भील, निवासी ग्राम नेला, सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (6) श्री दूदा पिता मोती जी भील, निवासी ग्राम नेला, सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (7) श्री हिरा पिता दूदा भील, नि. ग्राम नेला, सवीना, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (8) श्रीमती टमु बाई पत्नी हुक्मीचन्द जी भील, निवासी ग्राम नेला, सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (9) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर में वादी अधिवक्ता श्री रोशन जैन एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री महेश भट्ट की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1995 ठोस सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख .....माह .....सन् ..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....
पद .....

वाद के खर्चे

| वादी | रुपया | पैसे | प्रतिवादी | रुपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | | स्टाम्प प्रार्थना पत्र | | |
| स्टाम्प वकालात नामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | | | प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | | |
| मेहनताना वकील) पर | | | मेहनताना वकील) पर | | |
| खर्चा गवाह | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| आदेशिका की तामील | | | आदेशिका की तामील | | |
| विविध खर्चे | | | विविध खर्चे | | |
| योग | | | योग | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.26 18:03:44 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.26 18:03:44 IST
Reason: SelfAttested